| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**राजेश बनाम लादीदेवी**<br>जीसीएमएस **नम्बर 2022/469** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.04.23 | अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा किये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अपीलान्ट संख्या 3 स्वयं भी उपस्थित जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य दिनांक 16.02.2023 को एक समझौता पत्र/राजीनामा तहरीर व तकमील हुआ है, पक्षकारान के मध्य मौजिज लोगों की आपसी समझाईस व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा पक्षकारान पारस्परिक राजीनामे के आधार पर उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहते है इसलिये अपील का इसी स्तर पर विड्रा करना चाहते है और उक्त अपील में किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहते है। अतः अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने स्वीकार फरमाया जाकर अपील को आज की तारीख पेशी में विड्रा किया जाकर खारिज करने की कृपा करें।<br><br>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है तथा इसी स्तर पर खारिज करवाना चाह रहे है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो कर लिया जाने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(अन्तरसिंह नेहरा)<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर। | |